बदलती जलवायु में मनरेगा की सार्थकता

बदलती जलवायु में मनरेगा की सार्थकता

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर–273001

जनवरी, 2013

संकलनकर्ता
के०के० सिंह

लेआउट एवं आवरण
राजकान्ती गुप्ता

प्रकाशन :
गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर -273001
फोन : (0551) 2230004, फैक्स : (0551) 2230005
ई-मेल : geagindia@gmail.com, geag@geagindia.org

विवरणिका

1. पृष्ठभूमि **1**

2. जलवायु परिवर्तन **3**
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 4
- अनुकूलन 6
- अनुकूलन के सिद्धान्त 6

3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना **7**
- योजना का लाभ 8
- योजना की विशेषताएं 8
- जॉब कार्ड 10
- योजना के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्य 11
  - *नियोजन व क्रियान्वयन* 11

4. जलवायु परिवर्तन व मनरेगा **13**
- जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष मनरेगा की उपयोगिता 15

1 पृष्ठभूमि

भारत में विकास योजनाओं की शुरुआत ही इस पूर्वाग्रह से हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्र के करोड़ों बेरोज़गारों के उद्धार का एकमात्र तरीका है शहरों में उद्योग स्थापित कर उन्हें वहां श्रम के अवसर प्रदान करना। किन्तु 60 के दशक में पड़ी सूखे की मार और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय ग्लानि की भावना ने नीति की दिशा को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस पुनर्विचार का परिणाम अगले दो दशकों की हरित क्रांति थी। लेकिन इस क्रांति के पहिए भी अब डगमगाने लगे हैं। भारत के कछारी इलाके के संपन्न किसानों पर केन्द्रित, गेहूं और चावल तक सीमित, इस क्रांति ने देश के सबसे गरीब और पिछड़े क्षेत्रों को अपने आप से दूर रखा। नतीजा– ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी का चक्रव्यूह और भी गहराया। छोटे व सीमांत किसानों को अपने खेत के बाहर काम ढूंढ कर अपना जीवन यापन करना पड़ा।

देश की जलवायु में परिवर्तन आज कृषि के लिए संकट की स्थितियाँ उत्पन्न कर रहा है। अगर मौसम परिवर्तन की स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में हमें पीने के पानी एवं अनाज से भी महरूम होना पड़ सकता है। ऐसे में यह सवाल उठाना बेमानी है कि मौसम परिवर्तन की रफ्तार को धीमी करने अथवा रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए अथवा नहीं। यहां मूल सवाल तो यह है कि इसे रोकने की रणनीति क्या होगी? क्योंकि

जलवायु परिवर्तन को लेकर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर चिन्तनों का दौर जारी है, सरकार भी अपने तईं प्रयास कर रही है, परन्तु यह प्रभावी तभी होगा, जब स्थानीय स्तर पर इसके सन्दर्भों का आंकलन कर समाधान ढूंढे जायें। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना' का जिक्र समीचीन होगा, क्योंकि इस योजना के माध्यम से न केवल समाज के गरीब तबके व सीमान्त किसानों को रोजगार मिलने की निश्चितता है, वरन् यह उनके अकुशल परिश्रम को महत्ता प्रदान करने के साथ ही स्थानीय तौर पर परिसम्पत्तियों के सृजन का कार्य भी करती है और इन कार्यों से लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता भी मिल रही है।

मेड़बन्दी, तालाब निर्माण, वृक्षारोपण, चेकडैम, गली प्लग, बन्धी आदि का निर्माण, सड़क उच्चीकरण, ड्रेनेज निर्माण आदि ऐसे ही कार्य हैं, जो एक तरफ तो आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करते हैं, दूसरी तरफ गांव के पास अपनी स्थानीय परिसम्पत्तियां भी तैयार हो रही हैं, परन्तु इस योजना में शिक्षा व स्वास्थ्य को बिलकुल ही स्थान नहीं दिया गया है, जबकि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे एक साथ ही कई उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है –

1. रोज़गार गारण्टी केवल अल्पकालीन राहत ही नहीं पहुंचाएगी अपितु भारतीय खेती को दीर्घकालीन सूखा–मुक्ति व बाढ़–सुरक्षा की ओर ले जाएगी।
2. अर्थव्यवस्था को स्थाई व सुदृढ़ आधार मिलेगा जिससे कि सतत् विकास हो सके जो कि जलवायु के उतार–चढाव से सुरक्षित रहे।
3. रोज़गार गारण्टी पर खर्च स्थाई आजीविका निर्माण में लगेगा जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
6. इससे निजी पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिससे कि रोज़गार के और अवसर खड़े होंगे।
7. किस हद तक पूंजी निवेश गरीबी को दूर कर पाता है यह इस पर निर्भर करेगा कि निवेश किस रूप में और किन कार्यों पर हुआ। यदि रोज़गार गारण्टी पर होने वाला खर्च श्रमोन्मुखी कार्यो पर केन्द्रित हुआ तो आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों को काम भी मिलेगा।

जलवायु परिवर्तन न सिर्फ पर्यावरण वरन् हमारे स्वयं के वृद्धि व विकास के लिए भी एक खतरा है। इस खतरे को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था तथा समाज के हर क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में सतत् प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना जैसे विकासीय कार्यों में समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने तथा प्रशासन व समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में गम्भीर एवं ईमानदार प्रयास एक प्रभावी कदम होगा, जिसके माध्यम से सुरक्षित वर्तमान व सुव्यवस्थित भविष्य की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

2 जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन को इस सदी में सतत् विकास की राह में गंभीरतम चुनौती के रूप में माना जा रहा है। पूरी दुनिया में मौसम व तापमान में हो रहे बदलावों के परिणाम स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों व पारिस्थितिकी में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित है। ध्यातव्य है कि यह सब कुछ पहले भी होता था। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की जलवायु में कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा होता है, परन्तु वह परिवर्तन लम्बे समय में होता है, जिस कारण उसका बहुत घातक व तीव्र प्रभाव पर्यावरण व जीव अस्तित्व पर नहीं पड़ता, परन्तु आज सारी दुनिया इस बात से चिंतित है कि जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और वह भी मानवीय गतिविधियों के कारण। विकास की दौड़ में विगत 150 वर्षों के दौरान मनुष्य ने जो हठधर्मिता अपनायी है उसके परिणाम अब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। प्रकृति के नियमों में मानवीय हस्तक्षेप ने प्रकृति को और भी उग्र बदलाव हेतु तैयार कर दिया है। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण में बढ़ता जमाव जिनमें मुख्य गैस कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछली एक सदी के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 0.74 डिग्री सन्टीग्रेड से भी अधिक की वृद्धि हुई है। आई.पी.सी.सी. के अनुसार ठंडे दिन, ठंडी रातें तथा कोहरे की स्थितियाँ जहां पहले कभी–कभार होती थी, वहीं अब आम हो गयी है। उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में आ रहे व्यापक तूफान, चक्रवात, अप्रत्याशित वर्षा, वायु की गति में बदलाव, हिम नदियों

का पिघलना, बीमारियों का बढ़ता प्रकोप, तापमान का उतार–चढ़ाव आदि ऐसे संकेत हैं जो जलवायु परिवर्तन को परिलक्षित करते हैं। पिछले एक दशक से मानवजनित कारणों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक स्तर पर जो अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका पारिस्थितिकी और जीव समुदाय तथा विश्व की सामाजिक–आर्थिक प्रणालियों पर गंभीर परिणाम पड़ा है। यह जानते हुए भी कि हम प्रकृति का विकल्प निर्मित नहीं कर सकते, प्रकृति से छेड़छाड़ जारी रखे हुए हैं, जिसका खमियाजा न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी घातक रूप में भुगतना पड़ेगा।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

प्रकृति के विनाश पर खड़ी की जाने वाली सुख–सुविधाओं व आरामदेह जीवनशैली के लोभ से उपजी इस समस्या के दुष्प्रभाव कमोबेश सभी देशों, सरकारों और समुदायों पर आशातीत हैं। आज जलवायु परिवर्तन विश्व के सभी राष्ट्रों के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। जलवायु परिवर्तन से विश्व की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, जो चिन्ता का विषय है। मानसून की बढ़ती अनिश्चितता, बंजर बनती जमीनें, वीरान होते जंगल, बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति व प्रवृत्ति में बदलाव, जल संकट, सूखा, गर्म हवाएं, चक्रवात, तूफान, असमय व असमान वर्षा, दरकती धरती, पिघलते हिमनद, नित नयी बीमारियों का प्रकोप, विलुप्त होती प्रजातियाँ, खाद्यान्न संकट इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जो हमें आज जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के रूप में दिखाई दे रही हैं।

इन प्रभावों का सबसे ज्यादा असर विकासशील राष्ट्रों पर हो रहा है और उनमें भी उस समुदाय पर इसका प्रभाव अधिक पड़ रहा है, जो अतिन्यून संसाधनों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके निवारण के उपाय प्रचलित विकास की अवधारणा से परे जीवनशैली, सोच व विकास के प्रारूप में आमूलचूल परिवर्तन की माँग कर रहे हैं। यह बहुत हद तक संभव है कि इसके प्रभाव न सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से वातावरण, खाद्य, जल सुरक्षा व ऊर्जा पर होंगे बल्कि इसके परोक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्य, ग़रीबी और अर्थव्यवस्था पर भी होंगे। विकासशील देशों में, जहाँ अशक्त अर्थव्यवस्था और संसाधन की कमी से लोगों की अनुकूलन क्षमता न्यूनतम है, वहां जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की आशंका है। यहाँ जलवायु परिवर्तन की गंभीरतम घटनाओं जैसे कि बढ़ते तापमान से होने वाली मृत्यु और बीमारियाँ, बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षति व अकाल के काफी तेज़ गति से बढ़ने की संभावना है। आई.पी.सी.सी. की चौथी रिपोर्ट (2007) ने यह आशंका ज़ाहिर की है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से सदी के अंत तक पृथ्वी की जलवायु का तापमान 2–4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे होने वाले बदलाव खाद्य व जल सुरक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे।

यह आशंका है कि जलवायु के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि मात्र से ही ऊष्णकटिबंधीय देशों में खाद्यान्न के उत्पादन में भयंकर गिरावट आएगी, जिससे भूख व जलजनित बीमारियों में कई गुना वृद्धि होगी। अकाल व बाढ़ के कारण हिमालय व एन्डीज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को कई तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। समुद्रतटीय इलाकों व देशों में मानव, वानिकी व जैव–विविधता में अत्यधिक ह्रास के भी संकेत हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और इसके जो दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हमें अपने विकास के विकल्पों में नवीनता लानी होगी। ऐसी पद्धतियाँ विकसित करनी होंगी जिनसे न तो प्रगति की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया प्रभावित हो और न ही प्रकृति का शोषण हो साथ ही साथ प्राकृतिक सुरक्षा के दायित्वों को बढ़ाकर रोजगार के नये अवसर सृजित किए जाएं ताकि भूमिहीनों, गरीबों, बेरोजगारों को ग्रामीण परिसम्पत्तियों के सृजन व निर्माण में लगाया जा सके जिससे संकट के समय उनकी आजीविका बनी रहे और विकास के काम के साथ प्राकृतिक सन्तुलन को भी बनाए रखा जा सके।

वैश्विक स्तर पर जलवायु में हो रहे परिवर्तनों का असर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अलग–अलग रूप में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति काफी विविधतापूर्ण है। पूरा प्रदेश 9 कृषिगत जलवायु क्षेत्र में विभक्त है और मुख्य आजीविका का स्रोत कृषि ही

है। वर्तमान परिदृश्य में जलवायु में हो रहे परिवर्तन को विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के साथ ही साथ औद्योगीकरण के बढ़ते प्रभाव से धरती के तापमान में हो रही वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं का वाहक बन रही है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यहाँ भी बाढ़ व सूखा जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जहाँ एक तरफ प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बाढ़ की अधिकता व उसके बदलते स्वरूप से सकंटग्रस्त रहता है वहीं दूसरी तरफ बुन्देलखण्ड भयंकर सूखे की समस्या से जूझता रहता है। सूखे की स्थिति कमोबेश पश्चिमी व मध्य क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। अनिश्चितता भरा मौसम कृषि को बुरी तरह प्रभावित करता है।

विगत दो दशकों में प्रदेश में बाढ़ सूखा, अतिवृष्टि की आवृत्ति व प्रविष्टी में व्यापक बदलाव देखा गया है। ऐसी संकट ग्रस्त परिस्थितियों का प्रभाव कमोबेश सभी पर पड़ता है परन्तु जो संसाधन युक्त हैं वे कम प्रभावित होते हैं अथवा प्रभाव से जल्दी उबर जाते हैं मगर अतिसीमित संसाधनों के साथ जीवनयापन करने वाले इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं और प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अतिन्यून संसाधनों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपदा के समय इनकी स्थिति और नाजुक हो जाती है। ऐसी स्थिति में आजीविका के विकल्प समाप्त प्रायः हो जाते हैं और वे बड़ी संख्या में विभिन्न समस्याओं (भुखमरी, कुपोषण, शोषण, स्वास्थ समस्याएं इत्यादि) से जूझते हैं।

वर्तमान में बाढ़ के स्वरूप, आवृत्ति में बढ़त व प्रवृत्ति में बदलाव और सूखे की स्थिति के कारण किसानों को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका निष्कर्ष खेती छोड़ कर शहर की तरफ पलायन या अत्यधिक कार्य बोझ के साथ सामाजिक विघटन जैसी स्थितियों के रूप में देखने का मिल रहा है–

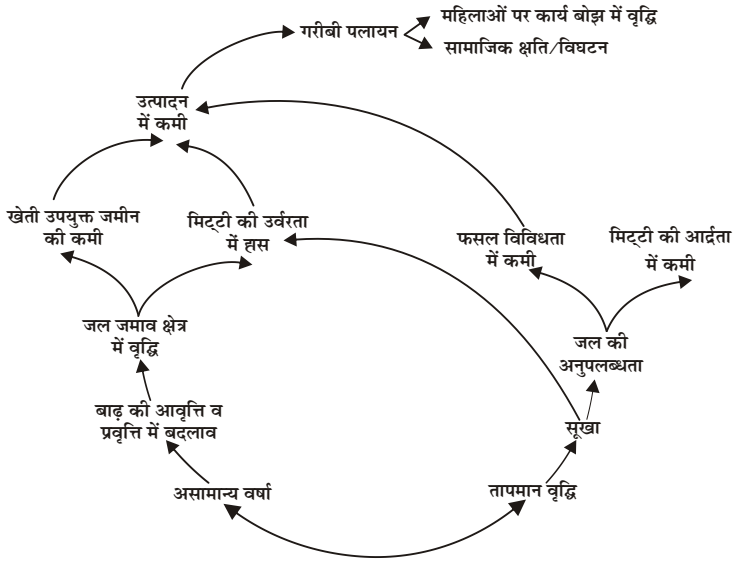

जलवायु परिवर्तन

उपरोक्त समस्याओं के चलते कृषि, स्वास्थ्य, जीवन यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई देता है। जान–माल और उत्पादकता आदि की क्षति लगातार बढ़ती जा रही है। पारम्परिक रूप से स्थानीय लोगों ने आपदाओं से निबटने के लिए अपने स्थानीय प्रयास किये हैं और अपनी तकनीक और विधियां भी विकसित की हैं जो उनके जीवनयापन को सुदृढ़ व सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होती रही हैं।

जलवायु परिवर्तन से हो रही इन समस्याओं को कम करने की दिशा में सरकारी विकास संस्थाओं द्वारा भी प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना एक बेहतर विकल्प के रूप में दिखायी देती है जिसका उपयोग व क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाय तो इन प्रभावों से होने वाले असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

अनुकूलन

जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप समुदाय पर हो रहे प्रभावों से उत्पन्न जोखिम को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता, परन्तु इसे कम करने हेतु उपाय अवश्य किये जा सकते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता विकसित कर एवं पूर्व तैयारी कर हम प्रभावों से नष्ट होने वाले तन्त्र, संरचना को कुछ हद तक अवश्य संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम समुदाय को संगठित करने का प्रयास करें और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उनके अन्दर निर्णय लेने की क्षमता, नई सोच, विचार, उपाय व नये प्रयोग करने की क्षमता का विकास करें।

अनुकूलन के सिद्धान्त

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत उपायों के तीन आयाम हैं –

- जलवायु प्रणाली का गहन अनुसंधान व अवलोकन और विकास पर उसका असर।
- जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में मानवीय योगदान को कम कर जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करना।
- परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करना।

अनुकूलन क्षमता विकसित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि समुदाय की नाजुकता को जाना व समझा जाये और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का होना आवश्यक है। स्थानीय सन्दर्भों में ये महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नवत हैं –

- आपदा की प्रकृति, प्रवृत्ति व आवृत्ति क्या है?
- कितना प्रभाव पड़ सकता है?
- पूर्व प्रभाव क्या रहा है?
- अनुकूलन के उपागम क्या–क्या हो सकते हैं?

उक्त सूचनाओं के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से हो रही आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए हम जब भी अनुकूलन की बात करेंगे तो हमें यह जानना अति आवश्यक होगा कि स्थानीय स्तर पर–

- आजीविका के संसाधनों की उपलब्धता क्या है?
- सूचनाओं की उपलब्धता कितनी, क्या है और माध्यम क्या है?
- सामाजिक पूंजी (स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, CBO आदि) की स्थिति क्या है?
- सेवा प्रदाताओं की स्थिति क्या है?
- स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचा क्या है? (अवस्थापना की स्थिति, पेयजल इत्यादि)

अनुकूलन के इन्हीं सन्दर्भों व सिद्धान्तों के सापेक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अनुमन्य विकासीय कार्य निश्चित रूप से समुदाय की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक ऐसी योजना है, जो समुदाय को सिर्फ रोजगार ही मुहैया नहीं कराती, वरन् उसे अनुकूलन के विकल्पों से भी दो–चार करती है। आवश्यकता है इसको सही ढंग से समझने की व लोगों को जागरूक होकर योजना से जुड़ने की। यदि समुदाय संगठित होकर आपदा की प्रवृत्ति व प्रकृति को सही ढंग से जान समझ कर उसके प्रभाव को कम करने हेतु सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का सही क्रियान्वयन कर पाये तो निश्चित रूप से होने वाले जोखिम को काफी हद तक कम करने में सक्षम हो सकते हैं।

3 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना

राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून, 2005 ऐसा कानून है जिसके तहत उन सभी व्यक्तियों को आवेदन के बाद पंद्रह दिन की अवधि में सार्वजनिक कार्यों पर रोज़गार पाने की हकदारी दी गई है, जो सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर अकुशल श्रम करने को तैयार हों। अगर उन्हें रोज़गार नहीं दिया जाता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता चुकाया जाएगा। फिलहाल इस कानून में रोज़गार की गारंटी ''100 दिन प्रति परिवार, प्रति वर्ष'' तक सीमित रखी गई है। पिछले कई वर्षों से मजदूर संगठन एक ऐसे राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून की माँग करते आरहे हैं, जिसमें रोजगार गारंटी के साथ काम के अधिकार को सुरक्षित करने के दूसरे कानूनी उपाय भी हों।

अन्ततः 5 सितम्बर 2005 को भारत की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कानून, 2005 को एक लंबे संघर्ष और विभिन्न क्षेत्रों के कड़े विरोध के बाद पारित किया जिसे संसद द्वारा वर्ष 2005 के अधिनियम संख्या 42 के रूप में अंगीकार किया गया और भारत के असाधारण बजट में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 07 सितम्बर, 2005 के माध्यम से प्रकाशित होकर लागू हो गया।

राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी कानून, कम से कम एक ऐसा संभावित हथियार तो है जिसका उपयोग ग्रामीण मजदूर सशक्तीकरण के लिए कर सकते हैं: गारंटीशुदा रोज़गार उन्हें आर्थिक असुरक्षा से बचा सकता है, मोलभाव करने की उनकी ताकत में इज़ाफा कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते संगठित होने में उनकी मदद कर सकता है और विभिन्न आपदाओं, वनों की कटाई एवं बढ़ते भू–क्षरण के कारण लगातार बढ़ रही गरीबी की समस्या के निवारण में मददगार साबित हो सकता है। पर ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक यह कानून सिर्फ कागजों पर रहे या उसका आधा– अधूरा क्रियान्वयन हो। प्रत्येक सामाजिक कानून का इतिहास यही रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों को अपनी हकदारी पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। गारंटीशुदा रोज़गार की संगठित माँग जितनी मजबूत होगी, उतनी ही सफलता से यह कानून लागू हो सकेगा। 2 फरवरी, 2006 को इसे प्रथम चरण में देश के 200 जिलों में लागू किया गया। 2007–2008 में इसमें 130 नये जनपदों को शामिल किया गया और 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया।

योजना का लाभ

इस योजना से कई लाभ हैं। अव्वल तो यही कि एक प्रभावी रोजगार गारंटी कानून ग्रामीण परिवारों को गरीबी और भूख से बचाने में मददगार होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता से गाँवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी, क्योंकि तब काफी परिवार रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागने के बदले गाँवों में ही बने रहेंगे। गारंटीशुदा रोजगार महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख स्रोत बन सकेगा। पिछले अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून के तहत रोज़गार पाने वालों में औरतों की संख्या ही अधिक होगी और गारंटीशुदा रोज़गार उन्हें आर्थिक आज़ादी देगा। रोज़गार गांरटी कानून ग्रामीण इलाकों में उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण का मौका देगा और अंतिम पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोज़गार गारंटी कानून असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मोलतोल करने की ताकत को भी बढ़ाएगा। तब वे अपनी तमाम दूसरी हकदारियों के लिए, जैसे न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए, संघर्ष कर सकेंगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह कानून संगठित होने का एक अनूठा मौका उपलब्ध करवाता है। सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों को कम करने में सहायक बन सकेगा। इस योजना में प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिकता निर्धारण तथा स्थायी परिसम्पत्ति के सृजन पर जोर देने की बात है। संचालन स्वरूप व स्थानीय समुदाय के प्रति समानान्तर जवाबदेही कार्य का एक नया तरीका प्रस्तुत करती है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है जिसके तहत सामाजिक लेखा परीक्षण के संचालन को सूचना प्राप्ति के अधिकार के तहत डालकर उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गयी है।

योजना की विशेषताएं

1. **योग्यता :** कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और ग्रामीण इलाके में रहता हो उसे इस कानून के तहत काम का आवेदन करने का हक होगा। इसके लिए उसे लिखित अथवा भौगोलिक रूप से ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन करना होगा। उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति का इसकी पात्रता से कोई लेना–देना नहीं है।

2. **हकदारी :** किसी भी आवेदक को आवेदन के 15 दिन की अवधि में जितने दिन वह चाहे उतने दिन का काम पाने का हक होगा, बशर्ते यह 100 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा से अधिक न हो।

3. **दूरी :** जहां तक संभव हो आवेदक को उसके आवास से 5 किमी. के दायरे के अंदर ही काम उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर काम इससे अधिक दूरी पर हो तो यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

4. **मजदूरी दर :** योजनान्तर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित दर पर

मजदूरी का निर्धारण किया जायेगा। सभी श्रमिकों को राज्य में कृषि मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी पाने का हक होगा जब तक केन्द्र सरकार अधिसूचना जारी कर देहाड़ी मजदूरी की दर न बदले। अगर केन्द्र सरकार इस बाबत अधिसूचना जारी करती है तो देहाड़ी मजदूरी की राशि रु. 60 प्रतिदिन से कम न होगी। महिला एवं पुरूषों में मजदूरी भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

5. **समय पर भुगतान :** जिस सप्ताह काम किया जाए उसके सात दिनों की अवधि में या अधिकतम एक पखवाड़े में भुगतान हो जाना चाहिए। मजदूरी का भुगतान समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने पूर्व घोषित तिथि पर किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाएगा और हर सप्ताह किया जाएगा। मजदूरी भुगतान के समय भुगतान का अंकन जॉब कार्ड में किया जायेगा।

6. **बेरोजगारी भत्ता :** यदि योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले श्रमिक को उसके आवेदन के 15 दिनों के अन्दर अथवा उसके द्वारा आवेदित तिथि (जो भी पहले हो) को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जा सके, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

   - बेरोजगारी भत्ते के रूप में भुगतान योग्य कुल राशि का योग, वित्तीय वर्ष में किसी परिवार को न्यूनतम मजदूरी दर पर प्रदान की गई मजदूरी की कुल राशि एवं बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान की गई कुल राशि का योग 100 दिवस की न्यूनतम मजदूरी के योग से ज्यादा नहीं होगा।
   - बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस हेतु न्यनतम मजदूरी दर के एक चौथाई होगी तथा शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी दर से आधी होगी।
   - प्रत्येक वर्ष लेबर बजट तथा वार्षिक प्लान तैयार करते समय इस बिन्दु को अवश्य ध्यान में रखा जायेगा कि कार्य योजना में पर्याप्त परियोजनायें सम्मिलित हों तथा संसाधनों की व्यवस्था भी पर्याप्त हो, जिससे इच्छुक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। बेरोजगारी भत्ता भुगतान की स्थिति में विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

   जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षित बेरोजगारी भत्ता अथवा रोजगार गारण्टी योजना दोनों का लाभ प्राप्त न हो। इस हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला सेवायोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

7. **महिलाओं के अधिकार :** कार्य प्राप्त होने वाले कुल व्यस्कों में अनिवार्य रूप के साथ आने वाले 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 5 या इससे ज्यादा होती है तो कार्य स्थल पर इनकी देख–रेख हेतु एक महिला श्रमिक को रखा जाएगा और उसे भी मजदूरी दर के अनुरूप मजदूरी दी जाएगी।

8. **श्रम को महत्व :** अधिनियम में यह प्रावधान है कि जहाँ तक व्यवहारिक हो, इस कार्यक्रम के तहत कोई भी काम मशीन से नहीं अपितु शारीरिक श्रम का उपयोग करके ही कराया जाएगा। अतएव श्रम बहुल कार्य को प्राथमिकता देते हुए श्रम और सामग्री का अनुपात 60:40 का रखना होगा और मशीनों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

9. **विकेन्द्रित नियोजन :** परियोजनाओं की रूपरेखा ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाएगी कुल कार्य के 50 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभानी होगी।

10. **कार्यस्थल पर सुविधाएं :** कानून के तहत रोजगार पाने वाले मजदूरों को कई सुविधाएँ मुहैया करवायी जायेगी जैसे पीने हेतु स्वच्छ जल की व्यवस्था, आराम हेतु शेड की व्यवस्था, आपातकालीन स्वास्थ देखभाल हेतु फर्स्ट एड बाक्स और छोटे बच्चों हेतु पालने की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

11. **सार्वजनिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता :** किए गये कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण कराया जाएगा।

- जवाबदेही वाली अमल प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तन्त्र कायम किया जाए।
- मांग करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर योजना से सम्बन्धित समस्त जानकारियों की प्रति किसी भी इच्छुक व्यक्ति को सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करायी जाएगी।

12. **चिकित्सा व अहैतुक सहायता**

- योजनानतर्गत काम कर रहे व्यक्ति को कार्य के दौरान चोट लगने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

- दुर्घटना में घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार भर्ती की व्यवस्था करेगी और इस स्थिति में अस्पताल में होने वाले व्यय का भुगतान भी करेगी। इस अवधि का दैनिक भत्ता भी घायल श्रमिक को देय मजदूरी के कम से कम आधे का भुगतान किया जाएगा।

- यदि काम के बीच या काम के समय किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा रू0 25000/– की राहत का भुगतान किया जाएगा जो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या स्थायी विकलांग को दिया जाएगा।

- यदि कार्यरत किसी मजदूर के साथ आये बच्चे को दुर्घटनावश कोई चोट आती है तो उस व्यक्ति को बच्चे के इलाज हेतु योजनान्तर्गत अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। बच्चे की मृत्यु होने की दशा में या स्थायी रूप से विकलांग होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुग्रह राशि मजदूर को प्राप्त होगी।

- प्रत्येक कार्य स्थल पर फर्स्ट एड बाक्स एवं आपात स्थिति में घायलों के इलाज हेतु समुचित उपचार सामग्री की व्यवस्था होगी।

जॉब कार्ड

कार्य हेतु इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर ग्राम पंचायत उचित जाँच पड़ताल के बाद जॉब कार्ड बनायेगी जिस पर घर के सभी व्यस्क लोगों के नाम अंकित होगें। यह कार्ड निःशुल्क जारी किया जाता है। कार्ड बनने के बाद वह परिवार ग्राम पंचायत के पास कार्य पाने हेतु आवेदन कर सकता है।

1. प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जायेगा।

2. जॉब कार्ड आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर जारी हो जाना चाहिये।

3. जॉब कार्ड पर आवेदक वयस्क सदस्यों के फोटो चस्पा होने चाहिये। फोटो हेतु धन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। यह कार्यक्रम निधि से वहन किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि सरकार ने फोटो हेतु धन योजना निधि से व्यय करने की व्यवस्था की है। यदि तुरन्त

पंजीकृत परिवारों को 15 दिन के अन्दर रोज़गार कार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य मुद्रित रूप में होगा जिस पर परिवार के वयस्क सदस्यों के प्रमाणित फोटो भी लगेंगे। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के पास भी उपलब्ध रहेगी। जॉब कार्ड की वैधता पांच वर्ष तक होगी।

फोटो की व्यवस्था नहीं होती है तो उसके लिये 3 माह का समय दे दिया जायेगा। परन्तु आवेदक को रोजगार के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा। जॉब कार्ड के पहचान वाले भाग को लैमिनेट करा लिया जायेगा।

4. जॉब कार्ड की एक प्रति ग्राम पंचायत में रखी जायेगी।

5. जॉब कार्ड सामान्यतः 5 वर्ष हेतु निर्गत होंगें। इनकी वार्षिक अद्यतनीकरण की कार्यवाही भी की जायेगी। यदि जॉब कार्ड में अतिरिक्त नाम अंकित करने हेतु आवेदन आता है तो जॉचोपरान्त ऐसा किया जा सकता है।

6. नाम बढ़ाने / घटाने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा सभी को अवगत कराया जायेगा और बैठक में सूची को पढ़ा जायेगा। नाम घटाये / बढ़ाये जाने की सूचना कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी।

7. यदि जॉबकार्ड खो जाता है तो डुप्लीकेट जॉबकार्ड बनाने के लिये आवेदन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत समुचित जांचोपरान्त दूसरा कार्ड जारी करेगी। इस हेतु ग्राम पंचायत में आरक्षित पूर्व जॉबकार्ड की प्रति से मिलान किया जायेगा।

योजना के अन्तर्गत सम्पादित होने वाले कार्य

योजना के अधिनियम की धारा 4 (3) के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमन्य किया गया है।

- जल संरक्षण एवं जल संचयन;
- सूखा निवारण, वृक्षारोपण;
- सिंचाई कार्य हेतु नहरें तथा अन्य लघु सिंचाई कार्य
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाली जमीन, भूमि सुधार कार्यक्रम के हितभागियों की जमीन एवं इन्दिरा आवास योजना के अधीन हित अधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रबन्ध
- पुराने जल स्रोतों जैसे तालाब इत्यादि की मरम्मत तथा उसमें से गाद निकालना;
- भूमि के विकास में सहायक कार्यक्रम
- बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्य तथा जलागम क्षेत्रों में पानी की निकासी;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण जो वर्षपर्यन्त उपयोगी हों;
- राज्य सरकार से विचार–विमर्श कर केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्य।

उक्त अनुमन्य कार्यों के अतिरिक्त वर्ष 2012 में इसमें संशोधन करते हुए 30 अन्य कार्यों को भी अनुमति दी गई जो निम्नवत् है–

नियोजन एवं क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। अधिनियम की धारा–13 में इस हेतु प्रावधान निहित है। जिला, क्षेत्र एवं ग्राम तीनों स्तर की पंचायतों को दायित्व सौंपा गया है।

जिला पंचायत के कार्य

1. योजना अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यों की विकासखण्डवार अन्तिम रूप देना तथा उनकी स्वीकृति प्रदान करना।
2. विकासखण्ड स्तर पर लिए गये प्रोजेक्टस् का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य।

क्षेत्र पंचायत के कार्य

1. ब्लाक स्तरीय योजना की तैयारी उसका अनुमोदन तथा जिला पंचायत को अन्तिम स्वीकृति हेतु प्रेषण।
2. ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
3. ऐसे अन्य कार्य जो राज्य रोजगार गारण्टी परिषद द्वारा समय–समय पर उन्हें दिये जायँ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक जनपद स्तर पर जिला पंचायत को तथा कार्यक्रम अधिकारी विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायतों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में सहायता एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

ग्राम पंचायतों के दायित्व

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व ग्राम पंचायतों का है। कार्यक्रमों की सफलता एवं विफलता का बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि ग्राम पंचायतें कितनी तत्परता, कितनी कुशलता, कितनी निष्ठा और कितने भावनात्मक लगाव से इसे क्रियान्वित करती हैं। अधिनियम की धारा–16 एवं 17 में ग्राम पंचायतों के दायित्वों, कृत्यों एवं ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट की बात कही गयी है।

1. ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में परियोजनाओं/कार्यो को चिन्हित करेंगी और ग्राम सभा की अनुसंशा प्राप्त करेंगी। वे इन कार्यों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगी।
2. ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार में योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कोई भी परियोजना ले सकती हैं।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा की अनुसंशा के उपरान्त एक कार्य योजना तैयार करेंगी जिसमें निहित कार्य रोजगार की मांग आने पर क्रियान्वयन हेतु लिए जा सकें।
4. जिस वर्ष कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है, उसके आरम्भ से पूर्व में ही ग्राम पंचायतें कार्ययोजनाएं जिनमें कार्यों की प्राथमिकताएं भी निर्धारित होंगी, कार्यक्रम अधिकारी को परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगी।
5. कार्यक्रम अधिकारी योजना के लागत के हिसाब से 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों को आवंटित करेंगें।
6. कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायतों को कार्यो हेतु मास्टर रोल उपलब्ध करायेंगें। वे ग्राम पंचायतों को अन्यत्र उपलब्ध कार्यों की सूची भी देंगें, जिससे ग्राम पंचायत क्षेत्र के कार्यों की कमी होने पर श्रमिकों को अन्य स्थानों पर रोजगार में लगाया जा सके।
7. ग्राम पंचायत आवेदकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगीं और उन्हें कार्य पर उपस्थित होने का निर्देश देंगी।
8. ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य तकनीकी मानदण्डों एवं मापन की शर्तों के अनुरूप होंगे।

सोशल ऑडिट

1. ग्राम सभा पंचायत द्वारा क्रियान्वित कार्यों का अनुश्रवण करेगी।
2. ग्राम पंचायत ग्राम सभा को मास्टर रोल, बिल– वाउचर, माप पुस्तिका, स्वीकृति पत्रों की प्रतियां तथा लेखा सम्बन्धी अन्य पत्रों समेत सभी वांछित अभिलेख उपलब्ध करायेगी, जिससे सोशल आडिट हो सके।
3. ग्राम सभा ग्राम, पंचायत द्वारा क्रियान्वित सभी कार्यों का नियमित रूप से सोशल ऑडिट करेंगी।
4. ग्राम्य विकास विभाग, योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग होगा।
5. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अधिकारी को योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिया जायेगा।

4 जलवायु परिवर्तन व मनरेगा

विगत 100 वर्षो के जलवायु सम्बन्धी आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है कि स्थानीय एवं वैश्विक जलवायु दशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया हैं। जिसका स्पष्ट सूचक वर्षा की अधिकता या अभाव तापमान में ह्रास या वृद्धि, वर्षा दिवस की संख्या में उतार–चढ़ाव के रुप में दिखाई दे रहा है। भारतीय गंगा मैदान के विगत वर्षो के जलवायु आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्षा की मात्रा बढ़ रही हैं तथा वर्षा के दिनों की संख्या घट रही हैं, अतः कम दिन में अधिक वर्षा प्राप्त हो रही है जो बाढ़ एवं निम्न भूमि में जमा होकर जलजमाव के रूप में प्राकृतिक आपदा को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में ताप पूर्व की अपेक्षा अधिक तथा ठंडी ऋतु में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ रही हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु पूर्व की अपेक्षा अधिक ठंडा हो गया है।

जलवायु के इस परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, जलप्लावन, तीव्र गति की आंधियॉ आदि अनुभव की जा रहीं है जो मानव के विविध क्रिया कलाप, उद्यम, रोजगार के साथ–साथ सिंचाई में भूजल की खपत, भूगर्भ में साफ–सफाई के अभाव के कारण कूड़ों–कचरों से छनकर पहुँचने वाला जल, भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है जिससे वह मानव के प्रयोग हेतु अप्रयोजक होता जा रहा है। कुल मिलाकर पारिथितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है जिससे उसका संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसी

स्थिति में मनरेगाा के अन्तर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के पुर्नस्थापन एवं ग्रामीण अवस्थापनात्मक अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण को प्रमुख उद्देश्य रखा गया है जिससे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों के परिणामों को कम से कम किया जा सके तथा गांव की स्वस्थ पारिस्थितिकी का निर्माण हो सके।

रोजगार गारण्टी कानून के तहत सरकार ने संघर्षपूर्ण समय में एक बेहतर विकल्प सामने रखा है जो निश्चित रूप होने वाले प्रभाव को भी कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस योजना में अनुमन्य कार्य में निहित उद्देश्यों को देखा जाय तो सभी कार्य परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना कमोवेश इसी भावना से प्रेरित दिखायी देती है जिसमें आपदा, जो कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है, के प्रभाव को कम करने हेतु बेहतर प्रावधान किए गये हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के निर्माण व बचाव पर ज्यादा जोर दिया गया और इस हेतु ग्रामीण स्तर पर ही योजना बनाने को अनिवार्य किया गया है। चुनी हुई पंचायतों को लोक निर्माण के कार्यों के लिए महत्व देना प्रमुखता से शामिल किया गया ताकि गांव की आवश्यकता के अनुरूप ही विकास के कार्य नियोजित व सम्पादित किए जा सके जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ ही साथ गांव का भी विकास हो।

जल जैसे प्रमुख एवं मूल्यवान संसाधन को संरक्षित एवं संचित तथा चवर को संरक्षित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का संरक्षण, शुद्धीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना महत्वपूर्ण कार्य है जिससें जहॉ एक ओर विविध प्रयोग हेतु जल की उपलब्धता बनी रहे, वही सतह पर जल के ठहराव के कारण भूमिगत रिसाव होने से भूमिगत जल पूनसर्भारण हो तथा भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि हो। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों, नालिकाओं का निर्माण, संरक्षण एवं मरम्मत इस योजना में समाहित है जिससे कृषि हेतु सिंचाई अवस्थापना की वृद्धि होगी जो उत्पादन में वृद्धि हेतु सबसे प्रमुख निवेश है। वनीकरण एवं वृक्षारोपण से जहॉ लकड़ी, चारा, ईधन की प्राप्ति होगी वही वर्षा को आकर्षित करने, भूमिगत जल स्तर को उपर बनायें रखने, पर्यावरण को प्रदूषणहीन बनाने में भी सहयोग प्राप्त होगा।

भूमि एवं मृदा आपदा को रोकने हेतु समोच्चा नाालिका एवं मेड़ों का निर्माण, पानी को धरातल पर अधिक समय तक बनाये रखने के लिए मिट्टी का बॉध, नदी–नालों के धारा में दोनों तटों तक पत्थरों का बॉध बनाने के कार्य को भी रखा गया हैं। कूड़ा–कचरा पर्यावरण प्रदूषण एवं मौसम को प्रतिकूल बनाने के साधन होते है। इनके प्रबन्धन से ठोस एवं तरल खाद बनाना भी योजना का अंग है जिससे भूमिगत रिसने वाला जल कम प्रदूषित होगा। जलवायु परिवर्तन से होने वाले आपदा के जोखिमों से निपटने में हेतु समायोजना तथा परिस्थितियों से सामंजस्य बनाना भी एक उपयुक्त साधन हैं जिसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता हैं।

यह सैद्धान्तिक व व्यवहारिक रुप से सिद्ध है कि छोटे किसानों, ग्रामीण समुदाय जो मुख्यतः कृषि व कृषिगत गतिविधियों पर ही निर्भर है। जलवायु में अनपेक्षित बदलावों से बहुत नुकसान उठा रहे हैं ऐसे में मनरेगा के तहत अनेक ऐसे उपाय है जिनको करके किसान अपनी कृषि को सुरक्षित तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत बना सकते हैं।

निम्न चित्र जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन हेतु मनरेगा की उपयोगिता को स्पष्ट करता है–

जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष मनरेगा की उपयोगिता

बाढ़ प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य

बाढ़ नलिकाओं का गहरा करना तथा मरम्मत

बारहवीं योजना की रणनीति में बाढ़ प्रबन्धन हेतु एक नया मुद्दा नालियों के निर्माण का चुना गया है। कई बाढ़ प्रवण गांवों में बाढ़ जल निकासी हेतु नालिकाओं की मरम्मत न होना या उनमें अवसादों का भर जाना या उन पर अतिक्रमण हो जाना पाया जाता है। ये जल प्रवाह नलिकाएं बाढ़ के जल को सीधे गांव से बाहर करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। दोनों ही प्रकार की नालिकाओं (खेत से मुख्य नाला तक) को गहरा करना तथा उसका समय–समय पर रख–रखाव करना आवश्यक होता है। मुख्य नालों को गहरा करने की प्रति इकाई खर्च 180रू0 प्रति मीटर तथा अकुशल श्रमिक एवं सामग्री का अनुपात 100 : 0 होता है। खेत से निकलने वाले नालों को गहरा करने का खर्च 30रू0 प्रति मीटर होता है।

चवर का सुदृढ़ीकरण

जल जमाव वाली निम्न भूमि को बिहार में चवर कहा जाता है जो प्राकृतिक तथा कटोरी के आकार की निम्न भूमि होती है जहाँ वर्षा का जल एकत्रित होता है बाढ़ की विभिषिका को कम करने में इनका बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इन चवरों का पुर्नविकास खेती वाले तालों की तरह बहुउद्देशीय उपयोग हेतु होते है। इन चवरों से निकाले गये गाद को उनके चारों ओर बांध के रूप में डाल कर उन पर फलदार, शोभाकारी, लकड़ी देने वाले (शीशम, सागौन, पापुलर इत्यादि) एवं लताधारी सब्जियों की खेती की जा सकती है। तालाब का पानी उनके सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में सिंघाड़े की खेती बहुत लाभदायी होती है। चवर के सुदृढ़ीकरण में खर्च 4.7 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर आता है।

जल निकासी की व्यवस्था के समय

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ व्यापक जल प्लावन की स्थिति हो जाती है। दूसरी तरफ बंधो के टूटनें से बड़ी मात्रा में कृषिगत भूमि जल मग्न प्लावित हो जाती है बाढ़ जाने के बाद भी उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था न होने की वजह से कई महीनों तक जल–जमाव की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण किसान दूसरी फसल भी नहीं ले पाता है। नरेगा के माध्यम से प्रभावित गांव की कार्य योजना तैयार कर जल निकासी हेतु उचित प्रबन्ध किया जा सकता है जिससे निम्न काम हो सकते हैं–

- बड़ा कृषिगत क्षेत्र खेती के योग्य बनाया जा सकता है।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन से आजीविका का संकट दूर होगा

- दूसरी फसल मिलने की दशा में खाद्यान्न संकट दूर होगा
- मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी।
- पहुँच मार्ग से पानी हटने की दशा में आवागमन की सुविधा होगी।

खेतों से बालू व गाद निकालना

बाढ़ के दौरान कृषिगत क्षेत्र में बाढ़ के साथ आने वाली मिट्टी गाद व बालू खेतों में ही जमा रह जाता है। बाढ़ के उपरान्त तमाम ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहाँ खेतों में भारी मात्रा में बालू पटा रहता है और यह क्षेत्र खेती के अयोग्य हो जाता है। बाढ़ में बर्बाद हुई खरीफ की फसल के बाद किसान ऐसी स्थिति में उस खेत में कोई भी फसल तब तक नहीं ले सकता जब तक कि उस खेत से बालू/गाद न निकाला जाय। व्यक्तिगत स्तर पर शायद यह अभी तक सम्भव नहीं होता था और ऐसे क्षेत्र प्रायः खेती अयोग्य ही रह जाते थे परन्तु नरेगा योजना के माध्यम से ऐसे खेतों से बालू/गाद

निकालने हेतु कार्ययोजना ग्राम पंचायत द्वारा बनाकर उन जमीनों को पुनः योग्य बनाने हेतु प्रयास कर हम निम्न लाभ अर्जित कर सकते हैं–

- कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि
- उत्पादन में वृद्धि
- स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता
- स्थानीय परिसम्पत्ति का विकास
- पलायन में कमी।

पहुँच मार्गों की मरम्मत : बाढ़ के समय जो सबसे बड़ी समस्या तात्कालिक रूप से सामने आती है वह है गांव तक पहुँच मार्गों का अवरूद्ध होना। बंधा कटने से बाढ़ का प्रवाह तेज होता है जिससे कई मार्ग तो पूरी तरह नष्ट हो जाते है और बाढ़ के उपरान्त जल जमाव ज्यादा दिन तक होने से भी मार्ग अवरूद्ध रहता है। आवागमन न होने की वजह से लोगों का सम्पर्क अन्य क्षेत्रों से बन्द हो जाता है और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियाँ लम्बे समय तक बनी रहती हैं क्योंकि मार्गों को पुनः ठीक करने हेतु स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास न होने के कारण लोगों को सरकारी प्रयासों का इंतजार करना पड़ता है। छोटे–मोटे रास्तों का पुर्ननिर्माण तो लोग कई स्थानों पर आपसी सहयोग व श्रमदान से कर लेते थे मगर मुख्य मार्गों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग पर ही निर्भर होते थे।

नरेगा योजना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि सभी मौसम में गांवों तक पहुँच मार्ग बनाने व उनको ठीक करने हेतु स्थानीय स्तर पर ही कार्य किया जाएगा ताकि गांव में रोजगार का सृजन हो। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ऐसे मार्गों को चिन्हित कर उसकी कार्य योजना स्वीकृत करके गांव में रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के माध्यम से पहुँच मार्गों को ठीक करा सकती हैं साथ ही उन्हें और ऊँचा भी कराया जा सकता है ताकि आने वाले समय में बाढ़ के समय लोगों को गांव तक पहुँचने में परेशानी न हो। ऐसा करके निम्न लाभ हो सकता हैं–

- बाढ़ के समय सुरक्षित स्थानों तक पहुँचने में आसानी

- बाढ़ के दौरान राहत सामग्री गांव तक समय से पहुँचाने में आसानी
- बाढ़ के बाद रोजगार स्थानीय स्तर पर

सिंचाई कमाण्ड सम्बन्धी कार्य

लघु, उपलघु तथा खेतों की नालियों का रख-रखाव : खाद्य सुरक्षा और भारत में गरीबी उन्मूलन में सतही सिंचाई तंत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लेकिन सतही सिंचाई तंत्र एक मुख्य समस्या से ग्रसित होता है वह है सिंचाई क्षमता का निर्माण एवं उनका उपयोग के मध्य एक वृहद अन्तराल का होना। इसका मुख्य कारण कमाण्ड क्षेत्र विकास का नजर अंदाज किया जाना है, विशेषकर खेत वाले नालिकाओं का। मनरेगाा के अन्तर्गत जो कार्य स्वीकृत है उसमें एक ही समय में लघु, उपलघु तथा खेत तक की नालियों से गाद का हटाना, उनके अन्दर आये दरारों को भरना, मिट्टी का समतलीकरण, मिट्टी से बने हुए किनारों की मरम्मत, किनारों को ऊँचा करना तथा मिट्टी से नहरों का ढ़लान ठीक करना सम्मिलित है। सामान्यतः श्रमिक संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। प्रति ईकाई इस काम के लिए लगभग 3000/– प्रति हेक्टेयर का मूल्य आता है। अकुशल श्रमिकों का श्रम तथा सामग्री का अनुपात 60 : 40 होता है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र में रोजगार गारण्टी की उपयोगिता

जलवायु परिवर्तन के एक बड़े प्रभाव के रुप में हमें सूखा और जल संकट देखना पड़ सकता है। बढ़ते तापमान ने एक तरफ जहॉ वाष्पीकरण की प्रकिया को तेज कर दिया हैं वहीं दूसरी तरफ मानसून की अनिश्चितता से वर्षा के क्रम में भी परिवर्तन हुआ है जिससे वर्षा की असमानता दिखाई देती है ऐसे में असामान्य वर्षा ने कही बाढ़ तो कही सूखे की स्थिति उत्पन्न कर दी हैं। लिहाजा उचित तौर पर हम जल का प्रबन्धन नहीं कर पा रहे हैं नतीजतन कहीं जलाधिक्य तो कहीं जल की कमी होती जा रही है। दूसरी तरफ कृषिगत सिचांई हेतु भूगर्भ जल का दोहन बढ़ रहा है और ऐसे में जहां पहले से ही जलस्तर काफी नीचे है वहां और विकट स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत के 70 प्रतिशत भूजल का दोहन कृषि के लिए हो रहा है और उसमें से तक़रीबन 70 प्रतिशत सिर्फ धान की खेती के लिए होता है। जल संकट से उबरने हेतु जल का उचित प्रबन्धन एक मात्र विकल्प है। मसलन जल संवर्धन, जल संरक्षण, भूगर्भ जल ग्राहय क्षमता में वृद्धि, जल संचय इत्यादि ऐसे विकल्प हैं जिनसे जल को पकड कर रखा जा सकता हैं।

नाजुकता की गतिशीलता, निपटन के तरीके और सूखा न्यूनीकरण

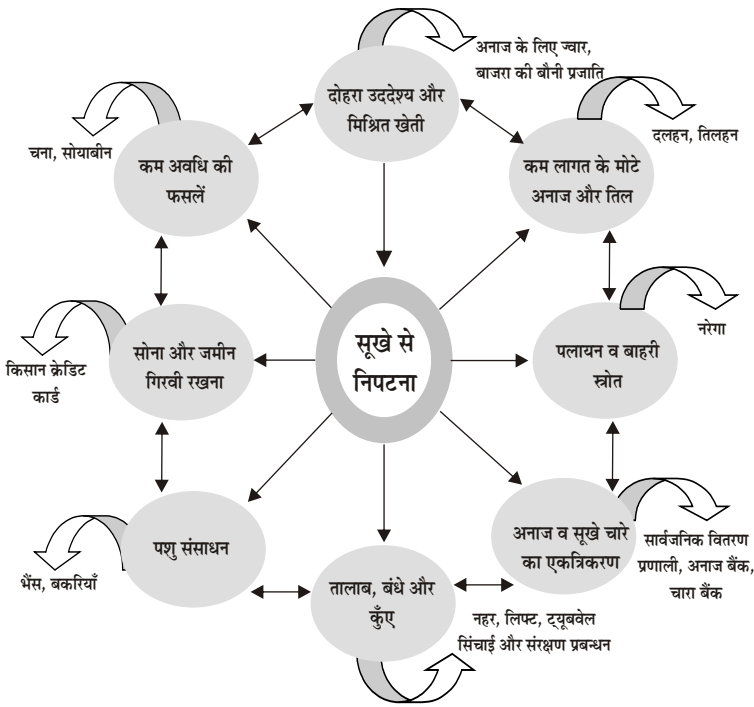

नोट : तीर के माध्यम से परम्परागत निपटने के तरीकों को दर्शाया गया है।

खाद्य व कृषि संस्थान (FAO) का मत है कि पारंपरिक जलस्रोतों के पुनरुद्धार व बेहतर प्रबंधन और भूजल के संवर्द्धन से ही जलसुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। लेकिन हमारे देश में ऐसे प्रयास कम ही दृष्टिगोचर हैं। संसाधनों के अभाव के चलते ये सभी कार्य उस रुप में नही हो पाते हैं जितना होना चाहिए और विकास की अंधाधुंध दौड़ में पुराने जल संचय तन्त्र भी धीरे–धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भूजल का स्तर और गुणवत्ता दोनों ही अधिकाधिक दोहन से प्रभावित हुई हैं। जिन राज्यों में 20–25 फीट पर पानी उपलब्ध था वहाँ अब जलस्तर 100 फीट से भी नीचे चला गया है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि व उद्योग पूर्णतः भूजल के अत्यधिक दोहन पर आधारित हैं और स्थिति चिंताजनक है। ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने हेतु आवश्यक है कि हम इनके लिए अपने आप को तैयार करें।

इन परिस्थितियों में मनरेगा जैसी योजना ने एक आशा की किरण दिखायी हैं जिसके तहत जल ग्रहण क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यो को योजना में सम्मिलित करते हुए उसे एक नयी दिशा प्रदान की गयी हैं।

जलग्रहण क्षेत्र विकास : अवधारणा, सिद्धान्त एवं मूल तथ्य

अवधारणा व सिद्धान्त : राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून में जल संरक्षण कार्यों पर बल दिया गया है। योजना की मार्गदर्शिका में इन कार्यों को योजनाबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का सुझाव है। कुछ लोगों का यह मानना है कि देश का वर्तमान जल संकट वर्षा की कमी से पैदा हुआ है। पिछले सौ सालों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि औसत वर्षा में शायद थोड़ी बहुत कमी आई है। किन्तु आज भी यह सच है कि यदि हम इस पानी को हर संभव प्रयास करके संग्रहित करें व एक–एक बूंद का सदुपयोग करना सीखें, तो पानी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। दरअसल कठिनाई वर्षा की मात्रा से नहीं बल्कि उसके गिरने की रफ्तार से पैदा होती है। हमारे देश में होने वाली मानसून की वर्षा की विशेषता है कि वो कुछ ही दिनों में कुछ ही घंटों के लिए बरसकर समाप्त हो जाती है। बदलती जलवायुगत स्थितियों से वर्षा की प्रवृत्ति में बदलाव आया है नतीजतन कुछ दिनों में ही पूरी वर्षा हो जा रही है अर्थात् साल भर के वर्षा दिनों की संख्या काफी घट गई है। वास्तविक चुनौती है इस पानी को रोके रहना। जल ग्रहण विकास कार्यक्रम द्वारा ऐसे कार्य प्रमुखता से किये जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम को मनरेगा के तहत जोड़ने से निश्चित तौर पर जल संकट से बड़े पैमाने पर निजात पाया जा सकता है।

इस कार्यक्रम का मूलमंत्र है ''खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में''। इसके तहत देश के प्रत्येक गांव में वहां पर गिरने वाले पानी को गांव में ही रोककर, गांव की समिति के नियंत्रण में, पानी उपयोग का प्रबंध किया जाता है। गांव का पानी गांव में रुकने से गांव की मिट्टी भी गांव में ही सुरक्षित रह पाती है। इस तरह जलग्रहण कार्यक्रम जन भागीदारी व सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। योजना का प्रारूप जमीन से उठता है, गांव में खुले संवाद से पैदा होता है। जिनको स्थानीय परिस्थितियों का अधिकतम ज्ञान है वे ही संतुलित व विकेन्द्रीकृत योजना की कल्पना करें, यह स्वाभाविक है।

जलग्रहण क्षेत्र विकास उन सभी कार्यों को दिया गया नया नाम है जो ज़मीन में जल को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। किसी भी वॉटरशेड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहते हुए पानी की गति को कम करना है, जिससे गांव में ही पानी का उपयोग अधिक से अधिक समय तक हो सके। कोशिश यह रहती है कि पानी को लम्बी दूरी तक अनियंत्रित बहने का मौका न मिले। गति कम होने से पानी को जमीन में नीचे उतरने का मौका भी मिलता है साथ ही मिट्टी कटाव में भी कमी आती है। कई बार यह देखा गया है कि इस कार्यक्रम में प्राथमिकता तालाब बनाने या पानी को संग्रहित करने को दी जाती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि कार्यक्रम की शुरूआत हमें जलग्रहण क्षेत्र के उपचार से करनी चाहिए। जब तक हम उस क्षेत्र का उपचार नहीं करेंगे जहां से पानी बहकर नदी–नालों में जाता है, तब तक हमारे तालाबों की उपयोगिता कम ही रहेगी। जाहिर है कि अगर पानी उसी तेजी से बहता रहा और अपने साथ मिट्टी को भी

काटता रहा तो तालाब जल्दी ही मिट्टी से भर जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम कदम–कदम पर बहते हुए पानी को रोकते हैं तो पानी धीरे–धीरे छन–छन के तालाबों में संग्रहित होगा। इससे नदी–नालों का जीवन भी बढ़ेगा और तालाबों में पानी एक बार नहीं, बार–बार संग्रहित होगा। जितना अधिक उपचार करने के बाद तालाबों का निर्माण किया जाएगा, उतना ही कम खर्च हमें उन पर करना होगा और उनके टूटने का खतरा भी कम हो जाएगा।

जलागम सम्बन्धी कार्य : मनरेगा योजना के तहत नये दिशा–निर्देश के अनुसार जल ग्रहण क्षमता विकास हेतु निम्न कार्यो को सम्मिलित किया गया हैं।

- समुच्च रेखीय खाई (कन्टूर ट्रेन्च)
- सम्मोचीय बंधा (कन्टूर वांध)
- वोल्डर चेक
- फॉर्म बांध (खेत मेड़बन्दी)
- मिट्टी का बांध
- खेत तालाब (शुष्क फार्म तालाब)
- स्टॉप डैम (अवरोधक बांध)

जलागम कार्यक्रम से होने वाले लाभ :

विकास के इस परिस्थिति अनुकूल, विकेन्द्रिकृत तथा प्रकृति का संतुलन बरकरार रखने वाले तरीके से कई लाभ प्राप्त होते है–

1. भूमि कटाव में कमी
2. बांधों में गाद भरने की गति में कमी
3. भूजल पुनर्भण्डारण से जल–स्तर में वृद्धि
4. नदियों को नया जीवन
5. मिट्टी की नमी में वृद्धि

समुच्च रेखीय खाई (कन्टूर ट्रेन्च)

कन्टूर की रेखा पर बनाई गई खाई को कन्टूर ट्रेन्च कहते हैं। विशेषकर उभरे हुए क्षेत्रों में जलागम समुच्च खाई बहुत ही आसान और वृहद उपाय है जिसके द्वारा पानी के तीव्र बहाव को रोक कर भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है। समुच्च खाई एक प्रकार की ऐसी खाई होती है जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हुई खोदी जाती है अतः ऐसी खाइयों को समान ऊंचाई पर इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि पानी के बहाव को अधिक समय तक इस खाई में रोका जा सके। यदि खाइयां समान ऊंचाई के अनुसार नहीं बनाई जाएगी तो ऐसी खाइयां मृदा क्षरण की सम्भावना को बढ़ा देगी क्योंकि ढाल के अनुसार मृदा का कटाव तीव्र होता है। कन्टूर ट्रेन्च बनाने से पानी के बहाव की गति धीमी होती है और मिट्टी के कटाव पर रोक लगती है। कन्टूर लाइन पर खाइयां खोदने से तेज़ी से बहता हुआ पानी इन खाइयो में इकट्ठा हो जाता है। खाई में इस प्रकार पानी इकट्ठा होने से आसपास की ज़मीन में नमी बढ़ती है और इस पानी के साथ–साथ बहकर आई उपजाऊ मिट्टी भी खाई में जमा हो जाती है। इस वजह से कन्टूर ट्रेन्च के निर्माण को वृक्षारोपण जैसे कार्य के साथ जोड़ना चाहिए।

समोच्च रेखीय खाइयां उच्च अकृषित भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त न हों पर बनायी जाती है जिसका ढाल 10–25 प्रतिशत हो। इसका 5 मी0 x 5मी0 के आकार के समोच्च रेखीय खाइयों पर व्यय 11,000/–प्रति हेक्टेयर आता है। लम्बाई के अनुसार इसका मूल्य 17/– प्रति मीटर आता है। इसमें मात्र अकुशल श्रमिक की मजदूरी का ही खर्च है।

सम्मोचीय बंधा : किसी जलागम में सम्मोचीय बंधा पानी के बहाव को रोकने के लिए उच्च क्षेत्र में एक सुगम एवं सस्ता साधन है। समान ऊंचाई पर बनाए गये बन्धे पानी के बहाव को बंधे के अन्दर रोके रहते हैं जिससे भूमि व मृदा का कटाव नही हो पाता। समुच्च खाइयों की तरह बंधे भी वर्षा जल को उच्च क्षेत्र से नीचे गिरने से रोकते हैं इस प्रकार मृदा की आद्रता की पार्श्विका को उन्नत बनाता है। जल से कटी हुई ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बंधे के पास आकर जमा हो जाती है इससे समुच्च बंधा वनस्पतियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।

समुच्च बांध कृषित भूमि पर बनाए जाते हैं जहां भूमि का ढाल 3–10 प्रतिशत तक होता है। जगह–जगह पर नलिकाओं को लगा दिया जाता है ताकि अतिरिक्त जल सुरक्षात्मक दृष्किोण से बाहर निकल सके इसलिए ऐसे जल निकास नलिकाओं का निर्माण अलग से करना पड़ता है। समुच्च बांध की ऊंचाई 0.6 मीटर, आधार की चौड़ाई 2 मी0 तथा पार्श्व चित्र का क्षेत्रफल 0.66 वर्गमीटर होना चाहिए जिस पर प्रति इकाई 14000/– रू0 प्रति हेक्टेअर आता है। अकुशल श्रमिक तथा सामग्री के मूल्य का अनुपात 85:15 होता है।

बोल्डर चेक (पत्थरों का छोटा बांध)

छोटी नालियों पर बनाए गए पत्थरों के बांध को बोल्डर चेक या गली प्लग कहते हैं। ये बांध उन नालियों पर बनाए जाते हैं जिनकी गहराई 3 मी. और जलग्रहण क्षेत्र 50 हेक्टेयर से कम है। यह छोटी जल निकास नालियों या मौसमी नाले के किनारे बनाए जाते हैं। ऐसे बोल्डर चेक बनाने का उद्देश्य मात्र पानी की गति को नलिकाओं में कम करना है जिससे भूमि का अपरदन तथा गाद का जमाव निचले क्षेत्रों में कम हो जाता है इससे जल भूमि की ओर भी जाता है इसलिए निचले क्षेत्रों में जल का उपयोग जल नलिकाओं में ज्यादा हो जाता है। बोल्डर चेक 7 मीटर लम्बा, 1 मी0 ऊंचा 1:1 और 3:1 ढाल वाला होने पर ऊपरी भाग की चौड़ाई 0.5 मी0 आने पर लगभग खर्च 4000/– आता है। इस दशा में बोल्डर 200 मी0 की दूरी पर प्राप्त होना चाहिए और इसमें अकुशल श्रमिकों का 100 प्रतिशत खर्चा आता है।

उद्देश्य

बोल्डर चेक बनाने का मुख्य उद्देश्य नाली में बहते पानी की गति को कम करना है। पानी की गति कम करने से कई मकसद पूरे होते हैं :

1. भूमि कटाव में कमी।
2. बहती मिट्टी को रोकना जिससे नीचे के तालाबों/बांधों में गाद कम भरे।
3. अधिक मात्रा में पानी ज़मीन के नीचे उतर पाये और भूजल पुनर्भन्डारण में वृद्धि हो।
4. नाले का प्रवाह अधिक समय तक चले जिससे गांव में वर्षा के पानी का

उपयोग अधिक समय तक हो सके और नीचे के तालाब/बांध कई बार भर सकें।

मिट्टी के बांध

किसी भी जलागम विकास कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण संरचना मुख्य नाले पर बनाए गए मिटटी के बांध होते हैं। यह किसी भी जलागम कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख संरचना है जो मुख्य धारा पर बनाया जाता है। भारत के अधिकांश भाग में जून से सितम्बर माह में वर्षा होती है जो बहुत ही सघन अर्थात कुछ दिन में कुछ घंटों में बहुत तीव्र वर्षा होती है। वर्षा दिवस की कमी भी औसत रूप से 40–50 दिन से अधिक नहीं होता अतः वर्षा घनघोर, कभी–कभी देर से प्रारम्भ होकर जल्दी समाप्त हो जाता है जिससे शुष्क मौसम वर्षा ऋतु में भी लम्बा होता है और सामान्यतः कृषि सूखे से प्रभावित हो जाती है। अतः खरीफ की फसल में सुरक्षात्मक सिंचाई की आवश्यकता होती है जो मृदा नमी की कमी को पूरा कर सके। मिट्टी का बांध उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है जहां भूमिगत जल की स्थिति बहुत

अच्छी नहीं है तथा नहर की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्र भारत में कुल सिंचित भूमि का आधा हैं। मिट्टी का बांध एक रिसाव के लिए बनायी गयी संरचना है जो भूमिगत जल के पुन सम्भरण को बढ़ावा देती है।

इस क्षेत्र में इकट्ठा जल कुओं तथा नलकूपों (जो निचले भाग में स्थित है), में भूमिगत होता है। इस रिसाव बांध को कुंए तथा नलकूप वाले क्षेत्र के ऊपरी भाग में बनाए जा सकते हैं। ऐसे मिट्टी वाले बाधों को 65 मीटर लम्बा, 4.65 मीटर ऊंचा, ऊपरी व निचले प्रवाह ढ़ाल जिस का अनुपात 2:1 और 2:5 हो और ऊपरी भाग की चौड़ाई 2 मीटर हो तो खर्च 2.6 लाख रूपये आता है। सामान्यतः इकाई मूल्य 20–30 सेमी पानी के एकत्रित करने के लिए लगता है। अकुशल श्रमिक तथा वस्तुओं का अनुपात 95:5 होता है।

खेत मेड़बन्दी

कृषि भूमि पर भूमि के क्षरण को कम करने के लिए तथा भूमि की नमी को बढ़ाने के लिए ऐसे मेड़ों का निर्माण किया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खेतों को छोटे–छोटे भागों में विभक्त कर मेड़ बांध देने से जमीन की जल शोषित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जहां का भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे है और वहां सूखा की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे स्थानों को ग्राम समाज चिन्हित कर एक बृहद् कार्ययोजना मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकती है। आदर्श मेड़ समान ऊंचाई के सहारे ही बनाया जाना चाहिए लेकिन किसान ऐसा नहीं करते। एक उपयुक्त खेत बन्दी जिसकी ऊंचाई 0.6 मीटर तथा आधार 1.7 मीटर और उसका पार्श्व क्षेत्र 0.57 वर्गमीटर हो तो उसकी लागत 8000/– प्रति हेक्टेअर आता है। लम्बाई में 40/– प्रति मीटर मूल्य आता है इसमें अकुशल श्रमिक तथा सामग्री के मूल्य का अनुपात 85:15 होता है। यह क्रिया कलाप उस परिवार के लिए उपयुक्त है जो व्यक्तिगत भूमि पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

मेडबन्दी करके किसान निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं

- खेत की उर्वर मिट्टी का बहाव नहीं होगा और जमीन की उर्वरता बनी रहेगी।
- वर्षा का पानी खेत में रूकने से मिट्टी की आर्द्रता बनी रहेगी।
- खेत में रूकने वाले पानी से भूगर्भ जल स्तर भी ठीक होगा।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा और खेतों का विकास भी।

खेतों में मेड़बन्दी के उद्देश्य

1. ***मिट्टी कटाव कम करना :*** हमारे देश में वर्षा का पानी कुछ ही घंटों में बह कर निकल जाता है और जाते–जाते अपने साथ बहुमूल्य मिट्टी भी खेत से बहाकर ले जाता है। इसी कारण कई खेतों में रेले पड़ जाते हैं जिनकी बाद में नालियां बन जाती है। याद रहे कि भारत में प्रतिवर्ष भूमि कटाव से 660 करोड़ टन मिट्टी तथा 50–80 लाख टन पोषक तत्वों का नुकसान होता है। और यह भी कि 2.5 से.मी. ऊँची मिट्टी की परत तैयार होने में दस हज़ार साल लग जाते हैं। आज भारत में मिट्टी तैयार होने की गति से 40 गुना तेज़ मिट्टी कटाव की गति है। इस मिट्टी को कटने न दिया जाए तो खेती की उत्पादकता 30–40 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। मेडबन्दी करने से खेत विभिन्न टुकड़ों में बंट जाते हैं। हर टुकड़े में तेज़ी से बहने वाले पानी की मात्रा और गति पर मेड रोक लगाते हैं। खेत का पानी और मिट्टी मेड़ के साथ आकर थम जाते हैं।

2. ***खेत में नमी की स्थिति में सुधार :*** खेत में मेड बनाने से मिटटी की नमी की स्थिति में सुधार और संतुलन आता है। सुधार क्या है, इसकी परिभाषा अलग–अलग परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैः–
   - पारगम्य (रेतीली या कछारी) मिट्टी में मेड़ बनाने का मुख्य उद्देश्य पानी को रोकना है।
   - अपारगम्य (जैसे काली या चिकनी) मिट्टी में मेड़ बनाने का मुख्य उद्देश्य खेत से पानी का व्यवस्थित निकास सुनिश्चित करना है। एक तरफ हम पानी की गति को कम करना चाहते हैं लेकिन साथ ही खेत में जमा पानी, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे खेत से नियमित रूप से बाहर भी निकालना चाहते हैं।

धान जैसी फसलों के खेतों में मेडबन्दी विशेष रूप से पानी रोकने के लिए ही की जाती है, भले ही वहां मिट्टी कैसी भी हो।

शुष्क खेत तालाब

खेत तालाब किसान के खेत से बहकर जाने वाले पानी को खेत में ही रोकने के लिए बनाई गई जल संग्रहण संरचना है। शुष्क कृषि तालाब व्यक्तिगत भूमि पर बहने वाले जल को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। वर्षा ऋतु में भी कई बार कई दिनों तक पानी नहीं बरसता जिसके कारण फसल को भारी नुकसान हो जाता है। फसल को इस नुकसान से बचाने के लिए खेत तालाब का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने का मुख्य कारण वर्षा जल को एकत्रित करना है जो अन्यथा की स्थिति में खेत से बाहर बह जाता है। मानसून मौसम में कई दिन ऐसे होते है जब वर्षा नहीं होती ऐसे शुष्क मौसम से खरीफ की फसल की बरबादी हो जाती है।

सूखा खेत तालाब ऐसी स्थिति में फसलों के बचाने का एक साधन बन जाता है। मिट्टी के बंध के विपरीत शुष्क कृषि तालाब में उच्चावचीय कठिनाइयों का ध्यान नहीं दिया जाता। गांव के समतल भूमि पर जहां नाले बहुत गहरे नहीं होते और न तो उनके किनारे के बंधे ऊंचे होते हैं। ऐसे समतल भूमि में फार्म तालाब बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। ऐसे तालाबों में एकत्रित जल का उपयोग खरीफ के अतिरिक्त रबी में भी सिंचाई व मत्स्य पालन के लिए किया जा सकता है। 25 x 20 x 2 मी0 आकार के (1 हजार घन मीटर क्षमता वाला) तालाब को बनाने में लगभग 1 लाख का खर्च आता है अर्थात 50–60 रू0 प्रति घन मीटर खर्च आता है। इसमें 100 प्रतिशत अकुशल श्रमिक का खर्च होता है,

यह क्रिया कलाप उन परिवारों के लिए है जो दूसरों की भूमि पर मनरेगा के तहत काम करने के लिए अर्ह है।

स्टॉप डैम (अवरोधक बांध)

अवरोधक बांधों का निर्माण वृहद जलागम क्षेत्र में नदियों पर किया जाता है। इनकी संरचना मानसून पश्चात वर्षा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः मानसून काल में इनके गेट खुले रहते हैं ताकि पानी का बहाव हो सके तथा यह भी ध्यान दिया जाता है कि अवसाद का बिल्कुल ही नहीं या कुछ प्रभाव हो सके। मानसून के बाद फाटक को बन्द कर दिया जाता है और बांध मानसून के बाद वाले पानी को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए ऐसे बांधों का निर्माण सदावाही नदी नालों में किया जाता है ताकि वर्षा ऋतु के बाद वर्षा जल को नदी नालों में एकत्रित किया जा सके। ऐसे बांधों के लगभग 1000 हे0 जलागम के पानी को एकत्रित करने हेतु 20 मीटर लम्बा, 2.7 मीटर अधिकतम ऊंचाई और ऊपरी भाग की चौड़ाई 1.5 मीटर और अगल–बगल के ढलान 1 : 1 होने पर इसकी कुल लागत 50,000/– रू0 आती है तथा प्रति इकाई 90–100 रू0 प्रति घन मीटर जल आता है। ऐसे बांध निर्माण बांध होते हैं जिसमें ईट व पत्थर का उपयोग किया जाता है। इसको बनाने में धातु की चादरों का भी उपयोग विशेषकर गेट के निर्माण हेतु किया जाता है। इसमें अकुशल श्रमिक एवं सामग्री का अनुपात 25 : 75 होता है।

तालाब निर्माण व जीर्णोद्धार

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचय हेतु तालाब निर्माण, जीणोद्धार की योजना का प्रावधान मनरेगा द्वारा अनुमन्य है। विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र जल की कमी से जूझते रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो कुछ पुराने जल संचय के श्रोत हैं, वह भी लुप्त होते जा रहे हैं। ग्राम पंचायत ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर नये तालाब निर्माण अथवा पुराने तालाबों के पुर्नुद्धार हेतु कार्य योजना बनाकर उसे प्रस्तुत कर सकती है। इस कार्य से क्षेत्र के लोग निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं –

- स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन
- वर्षा जल संचयन हेतु उचित व्यवस्था का निर्माण
- सिंचाई हेतु आत्मनिर्भरता/पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता
- भूगर्भ जलस्तर में सुधार
- मत्स्य पालन कर आजीविका के विकल्प तैयार किये जा सकते हैं।
- स्थानीय परिसम्पत्ति का निर्माण

वृक्षारोपण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सूखारोधी पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण कर हम निम्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं –

- मिट्टी में जल ग्राहय क्षमता में वृद्धि
- बायोमास में वृद्धि जिससे मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ाने में सहायक
- ग्रीन हाउस गैस को शोषित कर कुछ हद तक तापमान कम करने में सहायक
- रोजगार का सृजन
- प्राकृतिक संसाधन का सृजन
- लकड़ी और फल का विकल्प
- निश्चित तौर पर वृक्षारोपण कर हम रोजगार के साथ–साथ अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।

अन्ततः

यह तो स्पष्ट है कि मौसम बदलाव का वंचित समुदाय के लोगों की आजीविका पर व्यापक प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यह भी स्पष्ट है कि यह बदलाव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। चिन्ता का विषय यह है कि वर्तमान में यह प्रक्रिया काफी तेज है। ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव से होने वाले आपदा के जोखिम को हम कम करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य बनाना ही एक आसान विकल्प है। जोखिम को कम करने हेतु हमें पूर्व तैयारी करनी चाहिए और इस हेतु हमारा पारम्परिक तकनीकी ज्ञान कौशल काफी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही साथ तमाम सरकारी योजनाएं भी इसमें सहयोग करती हैं। नरेगा जैसी योजना के साथ जुड़ कर इसका सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये तो अनेक समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आवश्यकता है –

- समुदाय जागरूक हो और अपने अधिकारों को पहचाने।
- प्रशासन संगठित हो व समुदाय के बीच की साझेदारी को मजबूती प्रदान करे।
- अपनी अनुकूलन क्षमता का विकास करे।
- कृषि से लगाव को पुर्नस्थापित करे।
- पारम्परिक तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा दें।

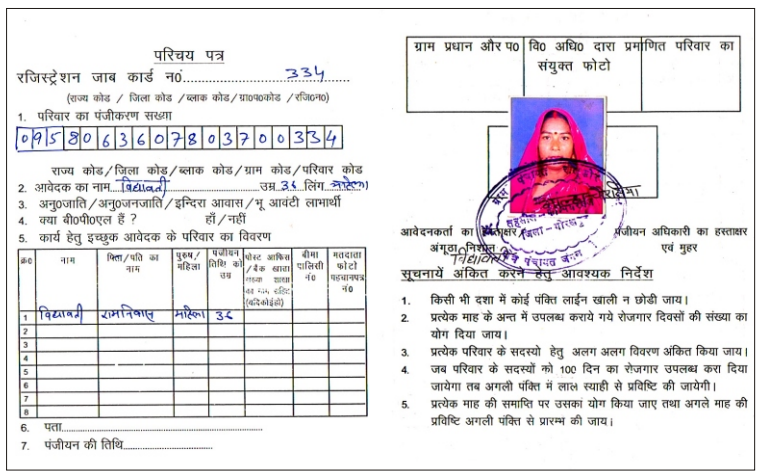

परिचय पत्र

रजिस्ट्रेशन जाब कार्ड न0.....334.....

(राज्य कोड / जिला कोड /ब्लाक कोड/ग्रा0प0कोड /रजि0न0)

1. परिवार का पंजीकरण सख्या

095 80 63 60 78 037 00 334

राज्य कोड/जिला कोड/ब्लाक कोड/ग्राम कोड/परिवार कोड

2. आवेदक का नाम....विद्यावती.....उम्र 36 लिंग महिला
3. अनु0जाति/अनु0जनजाति/इन्दिरा आवास/भू आवंटी लाभार्थी
4. क्या बी0पी0एल हैं ? हाँ/नहीं
5. कार्य हेतु इच्छुक आवेदक के परिवार का विवरण

क्र0	नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/महिला	पंजीयन तिथि को उम्र	पोस्ट आफिस/बैक खाता संख्या शाखा का नाम सहित (यदि कोई हो)	बीमा पालिसी नं0	मतदाता फोटो पहचानपत्र नं0
1	विद्यावती	रामनिवास	महिला	36			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

6. पता.....
7. पंजीयन की तिथि.....

ग्राम प्रधान और प0 वि0 अधि0 दारा प्रमाणित परिवार का संयुक्त फोटो

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

पंजीयन अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

सूचनायें अंकित करने हेतु आवश्यक निर्देश

1. किसी भी दशा में कोई पंक्ति लाईन खाली न छोडी जाय।
2. प्रत्येक माह के अन्त में उपलब्ध कराये गये रोजगार दिवसों की संख्या का योग दिया जाय।
3. प्रत्येक परिवार के सदस्यो हेतु अलग अलग विवरण अंकित किया जाय।
4. जब परिवार के सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा दिया जायेगा तब अगली पंक्ति में लाल स्याही से प्रविष्टि की जायेगी।
5. प्रत्येक माह की समाप्ति पर उसका योग किया जाए तथा अगले माह की प्रविष्टि अगली पंक्ति से प्रारम्भ की जाय।

■

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप, भारत

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रहा है। संस्था लघु एवं सीमान्त किसानों, आजीविका से जुड़े सवालों, पर्यावरण संतुलन, लैंगिक समानता तथा सहभागी प्रयास के सिद्धान्तों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था ने अपने 35 साल के लम्बे सफर के दौरान अनेक मूल्यांकनों, अध्ययनों तथा महत्वपूर्ण शोधों को संचालित किया है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं, महिला किसानों तथा सरकारी विभागों का आजीविका और स्थाई विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमतावर्धन भी किया है। आज जी०ई०ए०जी० ने स्थाई कृषि, सहभागी प्रयास तथा जेन्डर जैसे विषयों पर पूरे उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप ने 200 से अधिक स्वैच्छिक संस्थाओं का नेटवर्क बनाया है जो कि जिले, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जमीन पर उनके अधिकार दिलाने और किसान के रूप में पहचान दिलाने हेतु जी०ई०ए०जी० 'आरोह' नामक अभियान संचालित कर रहा हैं।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर- 273001
फोन : 0551-2230004, फैक्स : 0551-2230005
ईमेल : geag_india@yahoo.com
वेबसाइट : www.geagindia.org

पी०पी०ए० कार्यक्रम, क्रिश्चियन एण्ड
नई दिल्ली